

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 26-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *66 वाहनों का चालान, 07 वाहनों से कुल 6500/-रूपया शमन शुल्क वसूल* किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा *188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 03* व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व *मास्क न लगाने वाले कुल- 36 व्यक्तियों से 3600/- रुपये शमन शुल्क* वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से *कुल- 12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार* कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। व धारा 110 जी जा0फौ0 मे 16 चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय किया गया।

आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नन्दु पुत्र पूव मुसहर नि0 अमहव वथुनीपुर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-452/20 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रूदल पुत्र रामअधारे गुप्ता नि0 व थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-117/20 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त किसमती पत्नी भोला चौहान नि0 जंगल गुलहरिया थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-226/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आर्म्स अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त महेन्द्र राजभर पुत्र किशोर नि0 भडसर नरायण थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद बोरी कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- 214/20, धारा- 4/25 आर्म्स अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

पशु क्रूरता नि० अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त महेन्द्र इस्माईल अंसारी पुत्र मोगईदीन नि० बहुआर कला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 राशि बकरा को क्रूरता पूर्वक बांधकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर ***मु०अ०सं०- 451/20, धारा- 11 पशु क्रूरता नि० अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

गुण्डा अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.शाहीन अली पुत्र अल्लीउल्लाह नि० रूद्राखास 2.कृष्ण मोहन पुत्र रामभवन नि० देवीपुर केवटलिया 3.शमशुददीन 4.नसरुददीन पुत्रगण अलीशेर 5.अशरफ पुत्र शमशुददीन नि०गण अडबडहवा थाना पनियरा मह० जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर ***मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल- 11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।**

जनपद में दिनांक 25/26-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 17 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।